रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2018/श्रावण 17, 1940
No. 555] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2018/SHRAVANA 17, 1940

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 757(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह 'ग' और 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 को, जहाँ तक उनका संबंध आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में वनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.**– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**– वह व्यक्ति, –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ;

   या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की भाक्ति.**– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक।	16* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	लेवल – 04 (रु. 25500–81100/–)।	लागू नहीं होता।	21 से 27 वर्ष (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** – आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति – भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य – (1)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य; और (2) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 कुंजी दाब प्रति घंटा से कम की गति न हो।	लागू नहीं होता।	केवल सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

वांछनीय : किसी इलेक्ट्रॉनिकी आंकड़ा प्रकमण संगठन में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण** — अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक का सदृश पद धारण किए हैं; अथवा (ii) कुंजी दाब प्रचालक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल — 02 (रु. 19900 — 63200/—) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। (iii) अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल — 02 (रु. 19900 — 63200/—) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनकी गति 8000 कुंजी दाब प्रति घंटा से कम न हो। **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर—बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** — (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष; (2) अधीक्षक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य ; (3) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य ; और (4) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अलावा किसी अन्य विभाग से अवर सचिव पंक्ति का कोई अधिकारी — सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I-12014/46/2017—एन सी बी—II]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2018.

G.S.R. 757(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Narcotics Control Bureau) Group 'C' and Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Data Entry Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator in the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Data Entry Operator) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc..—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Entry Operator.	16*(2018) *Subject to variation	General Central Services Group 'C', Non-	Level-04 (Rs.25500-81100/-).	Not applicable.	Between 21 and 27 years (Relaxable for departmental candidates upto 40 years) **Note:** The crucial date for determining

	dependent on the workload.	Gazetted, Non-Ministerial.			the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of the Andaman Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential.- (1) 12th Standard pass from a recognised Board or equivalent; and (2) Speed of not less than 8000 key depression per hour for data entry work. **Desirable:** Two years experience in Data Entry in any Electronic Data Processing Organisation. **Note.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of Schedule Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits only.	By deputation or absorption failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation or absorption: Officers of the Central Government: (i) holding analogous post of Data Entry Operator on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Key-punch Operator having five year regular service in the level-02 (Rs. 19900-63200/) of the pay matrix. (iii) Lower Division Clerk having five years' regular service in the level-02(Rs. 19900-63200/-)	**Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering Confirmation) consisting of: —** (1) Deputy Director (Administration), Narcotics Control Bureau –Chairman; (2) Superintendent, Narcotics Control Bureau - Member; (3) Assistant Director, Narcotics Control	Not applicable.

of the pay matrix and possessing a speed of not less than 8000 key depression per hour. Note:Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Bureau –Member; and (4) An officer of the rank of Under Secretary from any Department other than Narcotics Control Bureau- Member.	

[F. No. I-12014/46/2017-NCB-II]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.14 19:05:50 +05'30'